


अपील सूचना अधिकार संख्या 57/2017 अनवानी श्री हरचन्द भांभू पुत्र
ख्यालीराम भांभू जाति जाट, निवासी ग्राम पोस्ट राजपुरा पीपरेन तहसील
सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर, बनाम तहसीलदार, सूरतगढ

25-07-2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री हरचन्द उपस्थित नहीं है। अपीलार्थी श्री हरचन्द भांभू का डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्र दिनांक 18.07.2017 शामिल पत्रावली किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सूरतगढ की तरफ से बेबी बिश्नोई, पटवारी उपस्थित है उनके द्वारा तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ का प्रतिवेदन संख्या 2828 दिनांक 24.07.17 प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार, सूरतगढ के प्रतिनिधि बेबी बिश्नोई, पटवारी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री हरचन्द भांभू ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 6.03.2017 के द्वारा तहसीलदार, सूरतगढ से निम्न सूचनाएं चाही थी:-

1. तहसील सूरतगढ के चक 2 पी.पी.एन.के प.न. 152/52 मु.न. 35,
प.न. 152/53 मु.न. 44,
प.न. 152/60 मु.न. 36,
प.न. 152/61 मु.न. 43, जिन खसरो से बने है, उन खसरो की जानकारी संबंधी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. बिन्दु संख्या 1 में वर्णित संबधित खसरो संबंधी मिसल बन्दोबस्त की प्रमाणित प्रतिलिपि।



अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि उसके द्वारा चाही गई उक्त सूचनाएं लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित 30 दिन से अधिक का समय लगाते हुए भी उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इस संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे जो पत्र प्रेषित किया गया है उसमें शुल्क का विवरण अंकित नहीं किया गया है, जानबूझकर देरी कर उसे गुमराह किया जा रहा है। इस संबंध में उसके द्वारा दिनांक 12.05.17 को पुनः प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है किन्तु अभी तक उसे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए उसके द्वारा चाही गई सूचना उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर तहसीलदार (भू0अ0) सूरतगढ ने अपना प्रतिवेदन संख्या 2828 दिनांक 24.07.2017 प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी को उनके कार्यालय के पत्र सं0 2670 दिनों 12.07.17 से सूचित कर दिया गया है उनके द्वारा यह भी प्रार्थना की गयी है कि कार्य अधिकता, भू अभिलेख में कार्मिको की कमी व कैम्प न्याय आपके द्वारा के मददेनजर देर हो गई है वर्तमान में प्रार्थी को सूचित कर दिया गया है।

श्रीगंगानगर
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

A3
2

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचनाओं के संबंध में तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ ने अपने पत्र सं० 1131 दिनांक 13.04.17 के द्वारा सूचित किया गया है कि चक 2 पीपीएन के प०न० 152/52 मु.न. 35, प.न. 152/53 मु.न. 44, प.न. 152/60 मु.न. 36, प.न. 152/61 मु.न. 43, जिन खसरों से बने हैं, उन खसरों की जानकारी व मिसल बन्दोबस्त की जानकारी चाही है। उक्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि नियमानुसार निर्धारित प्रतिलिपि शुल्क का संदाय कर तहसील कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। जिस पर प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 12.05.17 के द्वारा सूचना डाक द्वारा उपलब्ध करवाने एवं चाहा गया शुल्क आदि का विवरण चाहा था। जिस पर तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ ने अपने पत्र सं० 2670 दि० 12.07.17 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया कि बिन्दु सं० 1 की सूचना तलाश की जा रही है और रिकार्ड पुराना होने के कारण समय लग रहा है, रिकार्ड मिलते ही आपको सूचित कर दिया जावेगा। बिन्दु सं० 2 में मिसल बन्दोबस्त की प्रमाणित प्रतिलिपि का शुल्क 160/- (एक सौ साठ रुपये) जो तहसीलदार, सूरतगढ़ के नाम देय है व साथ ही डाक टिकट (25/-) पच्चीस रूपए लगा लिफाफा भिजवाने पर नकल भिजवा दी जावेगी।

अपीलार्थी को बिन्दु सं० 2 की सूचना के संबंध में उक्तानुसार राशि का संदाय तहसीलदार, सूरतगढ़ को कर सूचना प्राप्त करनी चाहिए। बिन्दु सं० 1 की सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ को निदेशित किया जाता है कि बिन्दु सं० 1 की सूचना के संबंध में आदेश प्राप्ति से 7 दिवस के भीतर निस्तारण किया जावे एवं तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ को यह भी हिदायत की जाती है कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का नियमानुसार निर्धारित समय अवधि में ही निस्तारण किया जाना चाहिए।

अपीलार्थी की अपील उक्तानुसार निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 25.07.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञान राम)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर15/8-19
03/08/17